Measures Taken Over Illegal Construction

- **26. Shri CHIRANJEEV RAO (Rewari):** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:
 - a) the measures taken by the Rewari Administration over the illegal in unauthorized colonies from the year 2019 till to date;
 - b) the action taken by the Rewari Administration to stop mushrooming of such colonies; and
 - c) whether there is any proposal under consideration of Government to regularize such colonies?

Dr. Kamal Gupta, Urban Local Bodies Minister

Sir,

- a) and b) As per information received from Town and Country Planning Department, total 79 unauthorized colonies have been identified from 01.01.2019 to 30.11.2023 in District Rewari. In all 79 colonies, Show Cause Notices and Restoration Orders have been issued. Out of 79 numbers of colonies, repeated demolition drives have been carried out in 63 number of colonies and complaint for lodging FIR in 50 colonies have been sent to the Police Department which stands lodged.
 - c) 40 unauthorized colonies are located within the municipal limits, out of these 07 colonies of Municipal Committee, Dharuhera have been declared as Civic Amenities and Infrastructure Deficient area vide notification dated 16.06.2023 by this Department. Further, 07 colonies of Municipal Council, Rewari and 03 colonies of Municipal Committee, Bawal have been approved by the Government which are being notified as Civic Amenities and Infrastructure Deficient area. Further, 23 colonies are being examined for declaring as Civic Amenities and Infrastructure Deficient area.

Town and Country Planning Department vide notification dated 22.08.2023 has also declared 14 colonies of District Rewari falling outside the municipal limit as Civic Amenities and Infrastructure Deficient area under the provision of the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Areas outside Municipal Area (Special Provisions) Act, 2021.

अवैध निर्माण पर अपनाए गए मानदंड

26 श्री चिरंजीव राव (रेवाड़ी):

क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

- (क) वर्ष 2019 से आज तक अनिधकृत कॉलोनियों में अवैध निर्माण को लेकर रेवाड़ी प्रशासन द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं;
- (ख) इन कॉलोनियों के फैलाव को रोकने के लिए रेवाड़ी प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; तथा
- (ग) क्या इन कॉलोनियों को नियमित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

डा० कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री

- (क) तथा (ख) नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 01.01.2019 से 30.11.2023 तक जिला रेवाड़ी में कुल 79 अनिधकृत कॉलोनियां चिन्हित की गई है। सभी 79 कॉलोनियों में कारण बताओ नोटिस और पूर्वावस्था आदेश जारी किए गए हैं। 79 कॉलोनियों में से 63 कॉलोनियों में बार—बार तोड़फोड़ अभियान चलाया गया है और 50 कॉलोनियों में एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत पुलिस विभाग को भेजी गई थी, जोिक दर्ज हो चुकी है।
 - (ग) नगरपालिकाओं की सीमा के भीतर स्थित 40 अनिधकृत कॉलोनियों में से, नगरपालिका सिमित, धारूहेड़ा की 07 कॉलोनियों को इस विभाग द्वारा दिनांक 16.06.2023 की अधिसूचना के माध्यम से अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना क्षेत्र घोषित किया है। इसके अलावा, नगर परिषद, रेवाड़ी की 07 कॉलोनियों और नगर पालिका, बावल की 03 कॉलोनियों को सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है, जिन्हें अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना क्षेत्र घोषित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 23 कॉलोनियों को अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना क्षेत्र घोषित करने के लिए जांच की जा रही है।

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने दिनांक 22.08.2023 की अधिसूचना के माध्यम से नगरपालिका सीमा के बाहर पड़ने वाली जिला रेवाड़ी की 14 कॉलोनियों को हरियाणा नगरपालिका क्षेत्र से बाह्म क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2021 के प्रावधान के तहत अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना क्षेत्र घोषित किया गया है।